राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 328/2023

मोटा राम खीचड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड, जरिए प्रबन्धक निदेशक, न्यू पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।
2. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, JDVVNL जोधपुर।
3. जोनल मुख्य अभियन्ता, बाड़मेर जोन बाड़मेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, (O&M) JDVVNL बाड़मेर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, (O&M) JDVVNL बाड़मेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 12.09.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अभिमन्यु सिंह राठौड़ अनुपस्थित तथा प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। उन्होंने अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2023 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए है। अतः प्रकरण के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज किया जावे।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधिकरण के आदेश दिनांक 13.09.2023 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु दस्ती किया गया है, परन्तु पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य